

न्यायालय: द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.)  
(समक्ष: मोहम्मद अज़हर)

नियमित व्यवहार अपील क्र.-06/17

प्रस्तुति/संस्थित दिनांक 28.02.17

1. सरनाम सिंह पुत्र जगन्नाथ प्रसाद शर्मा आयु 64 वर्ष
  2. रामवरन पुत्र जगन्नाथ प्रसाद शर्मा आयु 60 वर्ष
- निवासीगण ग्राम बड़ागर, तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0 .....अपीलार्थी/वादीगण

### विरुद्ध

1. जगमोहन पुत्र निरन्जन आयु 65 वर्ष
  2. रामस्वरूप पुत्र निरन्जन आयु 62 वर्ष
  3. गनेशराम पुत्र निरन्जन आयु 45 वर्ष
  4. बेताल पुत्र निरन्जन आयु 40 वर्ष
  5. रमाशंकर उर्फ बंटी पुत्र जगमोहन आयु 35 वर्ष
  6. मुनीश पुत्र जगमोहन आयु 31 वर्ष निवासीगण
- ग्राम बड़ागर तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0 ..... प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण

.....  
न्यायालय तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, गोहद जिला भिण्ड (श्री पंकज शर्मा) के मूल व्यवहार वाद क्रमांक 34ए/14 में घोषित निर्णय दिनांक 31.01.2017 से उद्भूत यह नियमित सिविल अपील।

.....  
अपीलार्थीगण द्वारा श्री अशोक पचौरी अधिवक्ता।  
प्रत्यर्थी क्रमांक 01 लगायत 06 द्वारा श्री एम.पी.एस राणा अधिवक्ता।  
.....

### —: निर्णय :—

( आज दिनांक 29.01.18 को घोषित)

1. अपीलार्थी/वादीगण द्वारा प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह अपील न्यायालय तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, गोहद जिला भिण्ड (श्री पंकज शर्मा) के मूल व्यवहार वाद क्रमांक 34ए/14 उनवान सरनाम एवं अन्य बनाम जगमोहन एवं अन्य में घोषित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.01.17 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार अपीलार्थी/वादीगण द्वारा ग्राम बड़ागर तहसील गोहद स्थित आम रास्ता लगभग 90 फुट के संबंध में प्रस्तुत किया गया स्वत्व घोषणा एवं स्थाई

निषेधाज्ञा का वाद निरस्त कर दिया है।

2. अपीलार्थी/वादी के विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह अभिवचन रहे हैं कि वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में विवादित जगह को लाल स्याही से दर्शाया गया है, उक्त जगह आम रास्ते पर है, जिसे आगे के पदों में विवादित रास्ते के नाम से संबोधित किया जाएगा। आम रास्ता पूर्व में सर्वे क्रमांक 107 का नंबर था, जो कि ग्राम आबादी में से होकर निकलता था, जो लगभग 90 फीट चौड़ा था, उसी रास्ते से होकर वादीगण अपनी भूमि सर्वे क्रमांक 56 रकवा 1 बीघा 16 बिस्वा में से निकलकर आते जाते रहे हैं, जिसका सर्वे क्रमांक बाद में 41 रकवा 0.37 हेक्टे0 हो गया है। मौके पर लोगों के द्वारा अतिक्रमण करने के कारण उक्त रास्ता केवल 40 फीट चौड़ा रह गया है। प्रतिवादी क्रमांक 03 व 04 ग्राम पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत रहते हुए अपने भतीजे प्रतिवादी क्रमांक 05 एवं 06 के पक्ष में ग्रामीण आबादी का गलत रूप से पट्टा करा लिया है। जिसके विरुद्ध वादीगण के द्वारा अपील की गई थी। प्रतिवादीगण ने विवादित रास्ते पर निर्माण कार्य करना प्रारंभ कर दिया है, जिससे वादीगण के निकलने का मार्ग अवरुद्ध हो रहा है। दिनांक 29.11.13 एवं 30.11.13 को प्रतिवादीगण ने निर्माण कार्य करने का प्रयास किया तथा झगड़ा करने पर आमादा हुए। उक्त आधारों पर विवादित रास्ता जगह में वादीगण के आवागमन के अधिकार होने की घोषणा तथा प्रतिवादीगण को उक्त विवादित रास्ता, जगह पर निर्माण न करने तथा रास्ते को अवरुद्ध न करने की स्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना की गई।
3. प्रतिवादीगण की ओर से वादी के अभिवचनों का सामान्य और विनिर्दिष्ट रूप से प्रत्ख्यान किया गया और यह अभिवचन किया गया है कि विवादित जगह, रास्ते की जगह नहीं है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में लाल स्याही से दर्शित स्थान पर कोई आम रास्ता नहीं है। आम रास्ते से लगी हुई प्रतिवादी क्रमांक 05 व 06 की स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि है, जिस पर प्रतिवादी क्रमांक 05 व 06 अपने पूर्वजों के जमाने से काबिज है। उक्त भूमि के संबंध में विधिवत् उन्हें पट्टा प्रदान किया गया है, जो सर्वे क्रमांक 40 में है। उक्त भूमि 65x20 वर्गफिट चौड़ी है, जिसकी उत्तर दिशा की ओर वादीगण का खेत है, दक्षिण दिशा की ओर आम रास्ता, जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है, जिसमें खरंजा निर्मित होकर वर्तमान

में सी.सी. रोड है। वादीगण सर्वे क्रमांक 43 से होकर अपने खेत में आवागमन करते रहे हैं। सर्वे क्रमांक 43 से होकर आम रास्ते से वादीगण अपने सर्वे नंबर 41 के खेत में सुविधा पूर्वक आवागमन करते चले आ रहे हैं। वादीगण ने सही मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया जबकि प्रतिवादीगण के द्वारा सही मानचित्र प्रस्तुत किया गया है। वाद निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

4. विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उभयपक्ष के अभिवचनों एवं प्रलेखों के आधार पर निम्नलिखित वाद प्रश्न निर्मित किये जाकर उनके निष्कर्ष निम्नानुसार उनके समक्ष अंकित किये गये:-

वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1. क्या वादीगण को वादग्रस्त रास्ता स्थित ग्राम बड़ागर में से होकर आवागमन करने का आवश्यकता या चिरभोगाधिकार के आधार पर सुखाधिकार प्राप्त है ?	“प्रमाणित नहीं”
2. क्या प्रतिवादीगण द्वारा उक्त सुखाधिकार के इस्तेमाल में वादीगण का कोई अवैध बाधा उत्पन्न की जा रही है ?	“अप्रमाणित”
3. क्या वादी द्वारा वाद का समुचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है ?	वाद मूल्यांकन समुचित परंतु न्याय शुल्क अपर्याप्त।
4. क्या वादी द्वारा वाद परिसीमा विधि में विहित परिसीमा काल के अंदर प्रस्तुत किया गया है ?	“प्रमाणित”
5. अंतिम निष्कर्ष एवं व्यय	वाद निर्णय के पद क्रं0 19 के अनुसार अप्रमाणित पाये जाने से निरस्त किया गया।

5. अपीलार्थी/वादीगण की ओर से अपील एवं अंतिम तर्क में यह आधार लिए गए हैं कि विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वादीगण की ओर से प्रस्तुत सुदृढ़ व सुसंगत साक्ष्य का विवेचन व निष्कर्ष साक्ष्य विधि के अनुसार नहीं किया है। बंदोबस्त से पूर्व राजस्व मानचित्र का अवलोकन नहीं किया है। सर्वे क्रमांक 107 शासकीय आम रास्ते के रूप में है जो कि सर्वे क्रमांक 56 के बगल से होकर गुजरता है। वादी की उक्त सर्वे क्रमांक 56 की भूमि पर पहुंचने के लिए वही रास्ता

है। सहवन भूल से नवीन राजस्व मानचित्र ग्राम बड़ागर की बस्ती में कुछ हिस्सा सम्मिलित हो गया है। जबकि मौके पर आज भी रास्ता है। दौराने बंदोबस्त रास्ते का नवीन सर्वे नंबर 44 व 100 के मानचित्र की स्थिति बंदोबस्त के पूर्व सर्वे क्रमांक 107 के राजस्व मानचित्र के अनुसार कायम नहीं की है। इस बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है। पट्टों के संबंध में अपील व रिवीजन संचालित है। व्यवहार वाद के निर्धारित वादप्रश्नों के उचित व न्यायपूर्ण निर्णय पारित करने के संबंध में राजस्व विभाग से कोई प्रतिवेदन शासकीय आम रास्ते का राजस्व मानचित्र के संबंध में नहीं लिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को नजर अंदाज कर त्रुटिपूर्ण आलोच्य निर्णय दिनांक 31.01.17 घोषित किया है, जो पूर्णतः विधि के सिद्धांतों के विपरीत होकर निरस्त किए जाने योग्य है। उक्त आधारों पर अपील स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.01.17 को अपास्त करते हुए विवादित रास्ते के संबंध में घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता की प्रार्थना की गई है।

6. प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण की ओर से मौखिक रूप से तर्क करते हुए व्यक्त किया गया है कि विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उचित रूप से निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। वादीगण के द्वारा सही मानचित्र पेश नहीं किया गया है और न ही चतुर्दिशाएं दर्शायी गई हैं। विवादित रास्ते के उत्तर दिशा की ओर वादी की भूमि है और दक्षिण दिशा में आम रास्ता है। अपील निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

7. इस अपील के विधिवत् निराकरण हेतु निम्न लिखित बिन्दु विचारणीय हैं:-

1. क्या अपीलार्थी/वादीगण को विवादित जगह से होकर आवागमन करने का सुखाधिकार प्राप्त है ?
2. क्या प्रतिवादीगण द्वारा उक्त सुखाधिकार के प्रयोग में कोई बाधा उत्पन्न की जा रही है अर्थात् क्या प्रतिवादीगण के द्वारा विवादित जगह रास्ते को अवरुद्ध किया जा रहा है ?
3. क्या इस वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्याय शुल्क अदा किया गया है ?

4. क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.01.17 स्थिर रखे जाने योग्य है या निर्णय/डिक्री में हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार है ?

**निराकरण निष्कर्ष:-**

8. इस अपील के दौरान अपीलार्थी/वादीगण की ओर से दो आवेदन अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 दिनांकित क्रमशः 06.11.17 एवं 29.11.17 के तथा प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण की ओर से भी एक आवेदन अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 दिनांकित 17.11.17 के प्रस्तुत किए हैं, जिनका निराकरण सर्वप्रथम किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उक्त तीनों आवेदनों अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए।
9. अपीलार्थीगण की ओर से प्रथम आवेदन में भूखण्ड आवेदनपत्र, भूखण्ड प्रमाणपत्र, भूखण्ड आवेदन पत्र, नक्शा, भूखण्ड प्रमाणपत्र, दायरा पंजी क्रमांक 409 वर्ष 2013-14, दायरा पंजी भू अधिकारपत्र वर्ष 2012, आदेश पत्रिका एस.डी.ओ. गोहद, अपील मेमो एस.डी.ओ. गोहद, सरपंच रामश्री द्वारा एस.डी.ओ. गोहद के समक्ष प्रस्तुत आवेदन, शपथपत्र रामश्री, समंस मनीष शर्मा, एस.डी.ओ. के आदेश दिनांक 25.09.17, लिखतम विक्रय अनुबंध पत्र दिनांकित 11.02.2005 बट्टीप्रसाद एवं जगमोहन शर्मा की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण में सहयोगी बताते हुए न्यायपूर्ण निराकरण के लिए साक्ष्य के रूप में उक्त दस्तावेजों को अभिलेख पर लिए जाने की अनुमति प्रदान किए जाने की प्रार्थना की गई है। समर्थन में अपना शपथपत्र प्रस्तुत किया है।
10. उक्त आवेदन का लिखित उत्तर प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया गया है कि उक्त दस्तावेजों का इस अपील में वादग्रस्त बिन्दुओं से कोई वास्ता नहीं है। अपीलार्थीगण को विधि अनुरूप अवसर दिया जाकर निर्णय व डिक्री पारित की गई है। आदेश 41 नियम 27 का विधिक सिद्धांत है कि महत्वपूर्ण एवं प्रकरण से संबंधित आवश्यक दस्तावेज यदि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ हो, तभी कोई दस्तावेज अपील स्तर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। आवेदन निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।



11. अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत किए गए द्वितीय आवेदन अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 में व्यक्त किया गया है कि अपीलार्थीगण के पिता के खाते का अधिकार अभिलेख खाता क्रमांक 44 जिसमें पुराने सर्वे क्रमांक 56 का नवीन सर्वे क्रमांक 41 होने का उल्लेख है, बंदोबस्त के पश्चात निर्मित किए गए सर्वे क्रमांक 40 जिसमें बंदोबस्त के पूर्व के सर्वे क्रमांक 107 का रास्ते की भूमि होने का उल्लेख है, उक्त दस्तावेज तथा सर्वे क्रमांक 107 की संवत् 2020 लगायत 2024 की खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि अपीलार्थीगण प्रस्तुत करना चाहते हैं, जो दस्तावेज प्रकरण के न्यायिक निराकरण के लिए आवश्यक है। उक्त प्रमाणित प्रतिलिपियों को अपीलार्थीगण द्वारा समय समय पर प्राप्त कर भिण्ड अभिभाषक श्री गजेन्द्र सिंह कुशवाह को इसी विवाद के संबंध में प्रस्तुत निगरानी के लिए दीं थीं, अपीलार्थीगण इस भूल में रहे कि इस व्यवहार वाद में प्रस्तुत कर दीं है। इस कारण सद्भावना पूर्वक तथा सम्यक् तत्परता के पश्चात भी विचारण न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सके थे। उक्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियों को अभिलेख पर लिए जाते हुए साक्ष्य में ग्राह्य किए जाने का आदेश दिए जाने की प्रार्थना की गई है। समर्थन में सरनाम सिंह के द्वारा अपना शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।
12. प्रत्यर्थीगण की ओर से इस आवेदन का लिखित उत्तर प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया गया है कि अपीलार्थीगण द्वारा केवल दिखावटी एवं बनावटी दस्तावेज न्यायालय का समय बर्बाद करने के लिए प्रस्तुत किए हैं, जिनका मामले की विषय वस्तु से कोई संबंध नहीं है। उक्त दस्तावेजों को अभिलेख पर लिए जाने और साक्ष्य में ग्राह्य किए जाने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन काबिले निरस्ती है। आवेदन निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।
13. प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 दिनांकित 17.11.17 में व्यक्त किया गया है कि एस.डी.ओ. गोहद के द्वारा अपीलार्थी/वादीगण का प्रकरण क्रमांक 25/2/2013-2014 अपील माल निरस्त किया गया है, जिसके विरुद्ध की गई निगरानी प्रकरण क्रमांक 18/15 निगरानी माल दिनांक 05.08.17 को निरस्त की गई है। जिसमें एस.डी.ओ. गोहद के आदेश को बहाल रखा गया है। उक्त आदेश दिनांक 05.08.2017 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रकरण के न्यायिक निराकरण के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। उक्त

दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि को अभिलेख पर लेते हुए साक्ष्य में ग्राह्य किए जाने का आदेश दिए जाने की प्रार्थना की गई है।

14. जिसका लिखित उत्तर अपीलार्थी/वादीगण की ओर से प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया गया है कि एस.डी.ओ. गोहद के न्यायालय में संचालित प्रकरण का अंतिम निराकरण नहीं हुआ है। वर्तमान में उनके द्वारा अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 05.08.17 के विरुद्ध राजस्व मण्डल के समक्ष चुनौती दी है, उक्त प्रकरण अभी लंबित है। इस कारण उक्त आदेश दिनांक 05.08.17 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रकरण के निराकरण के लिए कतई सहायक नहीं है। आवेदन निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई।
15. अपीलार्थीगण की ओर से अतिरिक्त रूप से तर्क करते हुए पुराने नक्शे व नए नक्शे का मिलान करते हुए विवादित स्थल को रास्ता होना बताया है और व्यक्त किया है कि यदि रास्ता अबादी में भी आ गया हो तो वह सदैव रास्ता ही रहेगा, उस रास्ते के स्वामित्व के अधिकार किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा भी अपने आलोच्य निर्णय में विवादित स्थल पर 40 फीट का रास्ता होना माना है। अपीलार्थीगण की ओर से न्याय दृ० मलयालम प्लांटेशन लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ केरला व अन्य ए आई आर 2011 एस सी 559 पर निर्भरता व्यक्त करते हुए तर्क किया गया है कि अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज विचारण न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं, उक्त दस्तावेज प्रकरण के न्यायिक निराकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं।
16. वहीं प्रत्यर्थीगण की ओर से न्याय दृ० प्रभूलाल एवं अन्य बनाम हरप्रसाद 1983 सी.सी.एल.जे. नोट ऑन अनरिपोर्टेड केसेस नोट 18 तथा गुलाम मोहम्मद बनाम हनुमन्त सिंह 1985 सी.सी.एल.जे. नोट ऑन अनरिपोर्टेड केसेस नोट 26 पर निर्भरता व्यक्त करते हुए तर्क किया गया है कि यदि अपीलार्थीगण के द्वारा पूर्व में दस्तावेज प्रस्तुत करने का संतोष जनक कारण नहीं बताया है तो कमजोर भाग की पूर्ति करने के लिए अर्थात् लेकूना पूर्ति के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने एवं साक्ष्य में ग्राह्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है। यह भी तर्क किया गया है कि अतिरिक्त साक्ष्य की अपीलीय न्यायालय को निर्णय घोषित करने के लिए आवश्यकता न होने के कारण उसकी अनुमति नहीं

दी जा सकती है।

17. प्रत्यर्थीगण की ओर से यह भी तर्क किया गया है कि अपीलार्थी/वादीगण के द्वारा स्वत्व घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है और स्वत्व के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं है। प्र0डी0-06 के विक्रयपत्र दिनांकित 08.07.99 की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए व्यक्त किया गया है कि सर्वे क्रमांक 41 के उत्तर पश्चिम दिशा में सर्वे क्रमांक 43 का केवल एक बिस्वा भाग अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा क़य किया गया था, मात्र एक बिस्वा भूमि अपनी सर्वे क्रमांक 41 की भूमि को पश्चिम उत्तर दिशा की ओर के रास्ते से जोड़ने के लिए क़य की थी, इतनी कम भूमि को कोई खेती के लिए क़य नहीं करता है, इसलिए सर्वे क्रमांक 43 की उक्त एक बिस्वा भूमि में वादीगण का रास्ता ही है और उक्त वर्ष 1999 से वादीगण विवादित स्थल को रास्ते के लिए उपयोग नहीं करते हैं। वादीगण के राजस्व न्यायालय में सभी आवेदन वर्तमान तक निरस्त होते रहे हैं। प्रत्यर्थी क्रमांक 05 एवं 06 को विधिवत् पट्टा दिया गया है, जिसे निरस्त करने का इस न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार नहीं है।

18. प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रस्तुत किए गए न्याय दृ0 माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 की एकल पीठ के हैं जबकि अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त न्याय दृ0 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के संबंध में है। न्याय दृष्टांत मलयालम प्लांटेशन लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ़ केरला व अन्य ए आई आर 2011 एस सी 559 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 के तहत अतिरिक्त साक्ष्य निम्न तीन परिस्थितियों में ली जा सकती है :-

1. यद्यपि जो साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दी जाना चाहिये थी, विचारण न्यायालय द्वारा अवैध रूप से उक्त साक्ष्य को लेने से इंकार कर दिया गया हो।
2. पक्षकारों के अथक परिश्रम के बावजूद भी उक्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुई थी।
3. वह साक्ष्य जो अपील कोर्ट को निर्णय घोषित करने योग्य बनती है और आवश्यक थी अर्थात् इन्हीं प्रकार का कोई सारभूत कारण रहा हो।



19. अपील कोर्ट को लैकूना पूर्ति या केस के कमजोर बिन्दुओं की पूर्ति के लिये अतिरिक्त साक्ष्य नहीं लेना चाहिये। अपील कोर्ट को उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में कंसीडर करना चाहिये एवं फैसला लेना चाहिये। वही दूसरी ओर उपरोक्त तथ्यों व निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुये उसकी प्रयोज्यता को ध्यान में रखते हुये अपील निराकृत करना चाहिये।
20. आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 के अनुसार अपील के पक्षकार अपील न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य, चाहे वह मौखिक हो या दस्तावेजी, पेश करने का हकदार नहीं होगा। इस प्रकार आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 के अनुसार अपील न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का वर्जन है। परंतु उसके अपवाद भी दिए गए हैं।
21. यह अपवाद तीन है। प्रथम यह कि जिस न्यायालय की डिक्री की अपील की गई है, ऐसी साक्ष्य ग्रहण करने से इन्कार कर दिया है जो ग्रहण की जानी चाहिए थी। परंतु मूल व्यवहार वाद के अभिलेख का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि प्रकरण में ऐसी परिस्थिति नहीं थी।
22. द्वितीय अपवाद यह है कि वह पक्षकार जो अतिरिक्त साक्ष्य पेश करना चाहता है, यह सिद्ध कर देता है कि वह सम्यक् तत्परता का प्रयोग करने के बावजूद ऐसी साक्ष्य की जानकारी नहीं रखता था या उसे उस समय पेश नहीं कर सकता था, जब वह डिक्री पारित की गई थी, जिसके विरुद्ध अपील की गई है। इस मामले में ऐसी भी स्थिति नहीं है। अपीलार्थीगण की ओर से अपने आवेदन अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 में ऐसा कहीं व्यक्त नहीं किया है कि वह सम्यक् तत्परता का प्रयोग करने के बावजूद ऐसी साक्ष्य की जानकारी नहीं रखता था या उसे उस समय पेश नहीं कर सका था, जब वह डिक्री पारित की गई थी। अतः ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण का मामला द्वितीय अपवाद के तहत भी नहीं आता है।
23. तृतीय अपवाद यह है कि अपील न्यायालय किसी दस्तावेज को पेश किए जाने या किसी साक्षी की परीक्षा किए जाने की अपेक्षा या तो स्वयं निर्णय सुनाने में समर्थ होने के लिए या किसी अन्य सारवान हेतु के लिए करे।
24. इस संबंध में अपीलार्थी का आवेदन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार किया

गया। विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य एवं सामग्री का अध्ययन किया गया। विचारण/अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा-08, 09 एवं 10 में यह मान्य किया है कि विवादित जगह रास्ते की दिशाओं के रूप में वादी की साक्ष्य एवं प्रस्तुत राजस्व दस्तावेजों में गंभीर विरोधाभास है। कोई रीनंबरिंग सूची भी प्रस्तुत नहीं है। वादीगण सर्वे क्रमांक 43 में होकर मार्गाधिकार उपयोग कर सकते हैं, यह मान्य करते हुए वादीगण को विवादित जगह पर रास्ते का सुखाधिकार नहीं माना है।

25. इस दृष्टि से प्रस्तुत किए गए अभिवचनों एवं साक्ष्य पर एवं प्रस्तुत दस्तावेजों विचार किया गया। वादीगण की ओर से वादपत्र के साथ जो नक्शा पेश किया गया है, उसमें कोई भी दिशाएं नहीं दर्शाई हैं। उक्त नक्शे में विवादित रास्ते पर वादीगण की भूमि से लगी हुई उक्त विवादित जगह को दर्शाया गया है, जिसके दाहिनी और बाईं ओर अन्य कृषकों के खेत होना बताया गया है। जबकि प्रतिवादीगण की ओर से जो नक्शा प्रस्तुत किया गया है। उसमें विवादित जगह को 65x20 वर्गफीट की भूमि होना बताते हुए उसके उत्तर दिशा में वर्तमान का सर्वे क्रमांक 41 दर्शाया गया है। जिसमें वादीगण दाताराम, सरनाम एवं रामबरन का खेत होना बताया गया है। उत्तर दिशा की ओर आम रास्ता सी.सी. रोड होना बताया गया है। जिसकी बाईं ओर अर्थात् पश्चिम दिशा की ओर वादीगण की भूमि लगी हुई है, अन्य कई लोगों के खेत हैं, जिसमें सर्वे क्रमांक 43 वादीगण का खेत दर्शाया गया है। जिसके और बाईं ओर अर्थात् और पश्चिम दिशा की ओर आम रास्ता है, जो उत्तर दिशा वाले रास्ते से जाकर मिल गया है।

26. प्रतिवादीगण का यह आधार है कि विवादित जगह से वादीगण को निकलने का कोई सुखाधिकार नहीं है, अपितु पश्चिम दिशा की ओर सर्वे क्रमांक 43 से वादीगण निकलकर रास्ते पर जा सकते हैं। वादीगण की ओर से अक्स नक्शा प्र0पी0-03 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है, जो वर्ष 1940-41 की स्थिति में है। जिसमें रास्ते को सर्वे क्रमांक 107 के रूप में दर्शाया गया है, जिसके उत्तर दिशा की ओर सर्वे क्रमांक 56 है। इसी प्रकार प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अक्स नक्शे की प्रमाणित प्रतिलिपि का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उक्त नक्शा वर्तमान स्थिति के रूप में है, जिसमें सर्वे क्रमांक 40 से लगा हुआ सर्वे क्रमांक 41 दर्शाया हुआ है।

सर्वे क्रमांक 41 के बगल से अर्थात् पश्चिम दिशा की ओर सर्वे क्रमांक 43 है और उसके पश्चिम दिशा की ओर अन्य आम रास्ता है। इस प्रकार दोनों ही नक्शों का मिलान आपस में ठीक प्रकार से हो रहा है, जिसके आधार पर पुराने सर्वे क्रमांक 56 के स्थान पर उसका नया सर्वे क्रमांक 41 होना प्रकट होता है।

27. उभयपक्ष की ओर से जो मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। उसके आधार पर यह प्रकट होता है कि प्र०पी०-03 में दर्शित सर्वे क्रमांक 56 के नीचे की ओर की भूमि में 65X20 वर्गफिट का पट्टा रमाशंकर एवं मनीष शर्मा पुत्रगण जगमोहनलाल शर्मा अर्थात् प्रतिवादी क्रमांक 05 व 06 के पक्ष में हुआ है। जैसा कि प्र०पी०-08 के पट्टे से स्पष्ट है। जिसके अनुसार आबादी खसरा नंबर 40 में उक्त पट्टा हुआ है। इसी कारण से उभयपक्ष के मध्य विवाद होना प्रकट होता है। जिसके संबंध में वादीगण के द्वारा मामला वर्तमान में राजस्व मण्डल ग्वालियर में लंबित होना बताया है।

28. अक्श नक्शा प्र०पी०-03 एवं प्र०डी०-05 का मिलान करते हुए अध्ययन करने से स्पष्ट है कि सर्वे क्रमांक 40 जो कि सर्वे क्रमांक 41 के ठीक नीचे 65X20 वर्गफिट की भूमि पर पट्टा प्रदान किया गया है। प्र०डी०-01, प्र०डी०-02, प्र०डी०-03 एवं प्र०डी०-04 का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि सर्वे क्रमांक 40 की भूमि शासकीय आबादी भूमि के रूप में है तथा सर्वे क्रमांक 44 रकवा 0.170 शासकीय रास्ते के रूप में है। सर्वे क्रमांक 41 रकवा 0.370 वादीगण की भूमि के रूप में है। सर्वे क्रमांक 43 रकवा 0.250 में वादीगण अन्य कृषकों/भूमि स्वामी रामनरेश, रंगा, बिल्ला, अनारवती आदि के साथ में सह स्वामी के रूप में है।

29. स्पष्ट है कि प्र०पी०-03 के नक्शे में दिखाए गए सर्वे नंबर के बाद में और कई सर्वे नंबर बने हैं, जिसमें सर्वे क्रमांक 40, सर्वे क्रमांक 41 के ठीक नीचे बना है, जो कि शासकीय रास्ते के रूप में नहीं है। सर्वे क्रमांक 107 की भूमि जिसे पूर्व में अर्थात् 1940 एवं 1941 में रास्ते के रूप में दिखाया गया है, वह भी शासकीय भूमि के अंतर्गत आएगी, उसके बाद उसका नवीन सर्वे हुआ है और अन्य सर्वे नंबर में विभाजित हुआ है, जिसमें एक सर्वे नंबर 40 भी है।

30. इस अपील में प्रस्तुत लिखित बहस, तर्क एवं प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों का

अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अक्श नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण के द्वारा प्रस्तुत नक्शे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी0-03 तथा प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत नक्शे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0डी0-05 एवं इस अपील में प्रस्तुत रीनंबरिंग सूची, खसरा संवत् 2010 लगायत 2014, 2015 लगायत 2019 का अध्ययन एवं तुलना करने से स्पष्ट है कि यह तथ्य प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किए गए हैं कि वादीगण सर्वे क्रमांक 41 के भूमि स्वामी हैं तथा इस सर्वे नंबर का पूर्व सर्वे नंबर 56 था। खसरे की प्रति से स्पष्ट है कि सर्वे क्रमांक 107 को रास्ते के रूप में दर्शाया गया है। रीनंबरिंग सूची के अनुसार सर्वे क्रमांक 107 के साथ साथ लगभग 31 और सर्वे नंबरों को मिलाकर वर्तमान का सर्वे क्रमांक 40 बनाया गया है अर्थात् पूर्व का सर्वे क्रमांक 107 वर्तमान के सर्वे क्रमांक 40 में समाहित है।

31. लिखित बहस के साथ रमाशंकर के द्वारा सरपंच को दिए निर्माण की मंजूरी के आवेदन की फोटोप्रति का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उसमें पट्टे पर दी गई भूमि 65x20 वर्गफीट के ठीक उत्तर दिशा की ओर दाताराम वगैरह का खेत दर्शाया गया है। प्रतिवादीगण का यह आधार है कि उक्त भूमि को पूर्वजों के समय से बर्ताव किया जा रहा है। प्रतिवादीगण की ओर से जो प्रतिवादपत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें यह अभिवचन किया गया है कि 65x20 वर्गफीट के बाद दक्षिण दिशा की ओर आम रास्ता है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है, जिसमें खरंजा निर्मित होकर वर्तमान में सी.सी. रोड है। अपीलार्थीगण की ओर से यह आधार लिया गया है कि पट्टे को निरस्त करने का निष्कर्ष दिए जाने का सिविल न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। परंतु सिविल न्यायालय में घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में वाद लाया जा सकता है।

32. उपरोक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए उक्त सभी दस्तावेजों के अध्ययन से स्पष्ट है कि उक्त दस्तावेज प्रकरण के न्यायिक निराकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज होना प्रकट होते हैं। इन दस्तावेजों के संबंध में उभयपक्ष को साक्ष्य के खण्डन का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त दस्तावेजों के संबंध में न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अतिरिक्त साक्ष्य लिया जाना तथा उक्त



दस्तावेजों एवं मौखिक साक्ष्य की विवेचना करने के पश्चात निर्णय घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

33. उक्त दस्तावेजों के परिपेक्ष्य में पक्षकारों के बीच न्यायिक निराकरण करने के लिए अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता इस न्यायालय को प्रतीत हो रही है। अतिरिक्त साक्ष्य का लिया जाना किसी लैकूना पूर्ती या किसी कमजोरी की पूर्ति के लिए लिया जाना प्रकट नहीं हो रहा है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण के दोनों आवेदन अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 250-250/-रुपए कुल 500/-रुपए के हर्जे पर तथा प्रत्यर्थीगण का आवेदन अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 250/-रुपए हर्जे पर स्वीकार कर उक्त दस्तावेज अभिलेख पर लिए गए। यह सभी दस्तावेज विचारण न्यायालय के समक्ष विवेचना किए जाने से रह गए हैं। इन सभी दस्तावेजों के संबंध में विचारण न्यायालय के समक्ष अतिरिक्त साक्ष्य लिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, बिना इन दस्तावेजों के तथा उनके संबंध में बिना साक्ष्य के जो निर्णय विचारण/अधीनस्थ ने दिया है तथा डिक्री पारित की है, वह उपरोक्त कारण से हस्तक्षेप किए जाने योग्य है। इस कारण उक्त आलोच्य निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.01.2017 अपास्त किए जाने योग्य है।

34. इस मामले में उपरोक्तानुसार अतिरिक्त साक्ष्य लिया जाना तथा दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य की विवेचना करने के पश्चात निर्णय घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने से उक्त आलोच्य निर्णय/डिक्री दिनांक 31.01.17 को अपास्त किया जाता है। अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

35. यह प्रकरण विचारण/अधीनस्थ न्यायालय की ओर इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विचारण/अधीनस्थ न्यायालय उपरोक्त प्रस्तुत दस्तावेजों के संबंध में विधिवत् उभयपक्ष की अतिरिक्त साक्ष्य ले तथा उन्हें खण्डन का अवसर दे, पूर्व में प्रस्तुत साक्ष्य एवं अतिरिक्त साक्ष्य की पुनः विवेचना करते हुए प्रकरण में पुनः निर्णय करे। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए अपने-अपने संपूर्ण दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटोप्रति उभयपक्ष प्रस्तुत करें, जो इस अपील प्रकरण में संलग्न की जाएं। दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां जो इस अपील में प्रस्तुत की गई हैं, वह मूल व्यवहार वाद के मूल अभिलेख के साथ विचारण न्यायालय की ओर प्रेषित की जाएं।

36. उभयपक्ष दिनांक 12.02.18 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवश्यक कार्यवाही हेतु उपस्थित रहें।
37. इस अपील का व्यय उभयपक्ष अपना-अपना वहन करेंगे। अधिवक्ता शुल्क 750/-रुपए लगाया जावे।
38. इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापस किया जावे।

निर्णय न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(मोहम्मद अजहर)  
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड

(मोहम्मद अजहर)  
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)